आपराधिक निगरानी संख्या–08 / 2026
गुड्डी बनाम सरकार व अन्य
निर्णय दिनांक :– 23.06.2026

न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो, सांभर लेक, जिला–जयपुर।

पीठासीन अधिकारी : इन्दु उज्ज्वल, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक निगरानी संख्या : 08 / 2026 (15 / 2022)

एन सी वी नम्बर : 15 / 2022

गुड्डी पुत्री इस्लाम कुरेशी, निवासी वार्ड संख्या–04 इन्द्रा कॉलोनी जोबनेर, थाना जोबनेर, जिला जयपुर।

.... निगरानीकर्ता / परिवादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये– अपर लोक अभियोजक सांभरलेक।
2. योगेश मेघवाल पुत्र नामालूम, निवासी जोबनेर, जिला जयपुर। हाल कार्यरत कर्मचारी नगरपालिका मण्डल, जोबनेर।

.....गैर निगरानीकर्तागण

फौजदारी निगरानी अंतर्गत धारा 397 दं.प्र.सं., विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.2022, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, पीठासीन अधिकारी श्री राहुल शर्मा, आर.जे.एस., परिवाद संख्या– 03 / 2022 परिवाद उनवानी गुड्डी बनाम योगेश।

उपस्थिति :–

1– श्री लालचन्द कुमावत, विद्वान अधिवक्ता वास्ते निगरानीकर्ता।

2– श्री उमाशंकर व्यास, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।

3– श्री रमेश जांगिड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2।

– आदेश –

दिनांक :– 23.06.2026

1. विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक द्वारा निगरानीकर्ता / परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता / प्रत्यर्थी योगेश में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के विरूद्ध दिनांक 06.05.2022 को यह निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिस पर गैर निगरानीकर्तागण को तलब किया गया, जिनकी ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी योगेश द्वारा उपस्थिति दी गयी एवं

2. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया।

3. निगरानीकर्ता ने निगरानी का मुख्य आधार यह लिया है कि निगरानीकर्ता / परिवादिया द्वारा एक परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 190 सीआरपीसी, जुर्म दफा 166, 504, 506, 509, 389 भां.दं.सं. प्रस्तुत किया। उक्त परिवाद पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं भिजवाकर धारा 210 दं.प्र.सं. के तहत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर प्रश्नगत आदेश पारित कर परिवाद को धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत साक्ष्य हेतु नियत करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो मनमाना व विधि विरूद्ध है। परिवाद में दर्ज तथ्य अनुसार मामला पूर्णतया अपराध के क्रमबद्ध श्रंखलाबद्ध तरीके से अन्वेषण का है। अभियुक्त द्वारा परिवादिया को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, जिसका उल्लेख परिवादिया द्वारा अपने परिवाद में किया गया है, जिस हेतु परिवादिया ने विद्वान विचारण न्यायालय को परिवाद धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में भिजवाये जाने का निवेदन किया तथा उक्त परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में ना भिजवाये जाने पर परिवाद का उद्धेश्य ही निष्फल हो जायेगा, लेकिन फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद में परिवादिया के उद्धेश्य को निष्फल करने हेतु मनमाना, बिना कोई कारण दिये आक्षेपित आदेश पारित किया है। परिवाद के साथ पेश शपथ पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य पर विचारण न्यायालय ने विचार नहीं किया। अंत में विद्वान विचारण न्यायायल का आक्षेपित आदेश अपास्त कर उक्त परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भिजवाने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

4. निगरानी से सम्बन्धित मामलें के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादिया द्वारा एक परिवादी इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि परिवादिया कस्बा जोबनेर की मूल निवासी है तथा राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में आवासीय पट्टे जारी करने हेतु योजना प्रस्तावित कर रखी है, जिसके अनुसरण में परिवादिया ने अपने व अपने पिताजी के मकान का पट्टा बनवाने हेतु पट्टा

पत्रावली ऑनलाईन दर्ज करवायी थी तथा अभियुक्त नगरपालिका जोबनेर में यू. डी.सी. के पद पर कार्यरत है तथा परिवादिया दिनांक 06.04.2022 को नगर पालिका जोबनेर गयी तो उस समय अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे तो परिवादिया ने उक्त पट्टा पत्रावली जमा करवाने के लिए पूछा तो परिवादिया को अभियुक्त के कमरे में भेज दिया, जहां पर अभियुक्त ने राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उक्त पट्टा पत्रावली को जमा नहीं किया तथा विधि के तहत दिये गये दायित्वों का निर्वहन नहीं कर दायित्वों के विपरीत कृत्य किया व परिवादिया के निवेदन करने पर अभियुक्त ने आक्रोशित होकर कहा कि अभी रिकॉर्ड देखने का समय नहीं है। यह कहकर परिवादिया की फाईल को फैंक दिया और कहा कि आ जा तु मेरी सीट पर बैठकर काम कर ले तथा मुहफौस गालियां देकर परिवादिया के साथ गाली गलोच कर अभद्र अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर परिवादिया को सआशय अपमानित किया तथा यह जानते हुए कि वह लोक सेवक के पद पर कार्यरत है अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर लोक शांति भंग करने के आशय से तेज आवाज में परिवादिया को धमकाया तथा परिवादिया की संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत पट्टे की पत्रावली को निरस्त कर संपत्ति से वंचित करने की धमकी दी, जिससे परिवादिया को मानसिक व शारीरिक पीड़ा हुई तथा अभियुक्त ने परिवादिया को धमकी दी कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई तो परिवादिया के विरूद्ध राजकार्य में बाधा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने बाबत् एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत झूठे मुकदमें बनाकर 10 साल तक जेल भिजवाने की धमकियां दी, जिससे परिवादिया उक्त अभियुक्त से डरी हुई है तथा परिवादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट तत्काल पुलिस थाना जोबनेर में दिनांक 07.04.2022 को दी, जिसपर पुलिस थाना जोबनेर ने परिवादिया को रसीद संख्या– 19 दिनांक 07.04.2022 देकर आश्वस्त किया कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करेंगे, इसके बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो परिवादिया ने दिनांक 08.04.2022 को पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को जरिये रजि. डाक रिपोर्ट प्रेषित कर कार्यवाही करने का निवेदन किया, जिसपर भी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही नहीं की गयी तो परिवादिया ने दिनांक 12.04.2022 को महिला आयोग में परिवाद पत्र पेश कर व राष्ट्रीय महिला

आयोग में पोर्टल पर शिकायत प्रस्तुत कर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया, जिसपर भी पुलिस थाना जोबनेर ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस कारण यह परिवाद पेश करना आवश्यक हुआ.....आदि।

उक्त परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना जोबनेर को भिजवाये जाने का निवेदन किया, जिस पर विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा दिनांक 22.04.2022 को परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर दिनांक 26.04.2022 को प्रश्नगत आदेश पारित कर परिवाद को धारा 200 दं.प्र. सं. के तहत साक्ष्य हेतु नियत करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है, जिस आदेश से निगरानीकर्ता / परिवादिया द्वारा व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6. दौराने बहस निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 26.04.2022 को अपास्त कर निगरानी स्वीकार कर निगरानीकर्ता / परिवादिया के परिवाद को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना जोबनेर को भिजवाये जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने हस्तगत निगरानी याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. हस्तगत प्रकरण के अंतर्गत इस न्यायालय को इस प्रश्न / बिंदू पर विचार करना है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांकित 26.04.2022 शुद्ध, वैद्य, विधिपूर्ण है अथवा नहीं?

10. हस्तगत प्रकरण में निगरानीकर्ता का मुख्य आक्षेप यह रहा है कि विद्वान

विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित किया गया आदेश दिनांकित 26.04.2022 निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता के परिवाद को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना जोबनेर को भिजवाये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त आक्षेपित आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी और उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर और परिवाद के अवलोकन करने के पश्चात पारित किया गया है तथा उक्त आक्षेपित आदेश से पूर्व भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुलिस थाना जोबनेर से परिवाद से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की गयी थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के संबंध में विधिक प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.क्रिमिनल पिटिशन नम्बर 7455/2022 राहूल राहपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 09/12/2022 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट की धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दी गयी शक्ति विवेकीय है और न्यायालय उन शक्तियों का अपराध की प्रकृति तथा अनुसंधान की आवश्यकता के आधार पर उपयोग कर सकता है। न्यायालय परिवाद को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रेषित करने हेतु बाध्य नहीं है। इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद की प्रकृति व पुलिस थाना जोबनेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर परिवादी पक्ष को सुनकर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो विधि की दृष्टि में सही और वैध होना प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

11. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश जो दिनांक 26.04.2022 पारित किया गया है जो किसी भी अनुरूप अशुद्ध, अवैध व औचित्यहीन होना नहीं पाया जाता है। इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य पायी जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय

द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 26.04.2022 पुष्टि किये जाने योग्य है।

– आ दे श –

12. अतः निगरानीकर्ता / परिवादिया गुड्डी की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध गैरनिगरानीकर्तागण अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक के द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 26.04.2022 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावें।

(इन्दु उज्ज्वल)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–02,
सांभरलेक, जिला जयपुर।

13. आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2026 को सुनाया गया।

(इन्दु उज्ज्वल)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–02,
सांभरलेक, जिला जयपुर।